रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259335
CG-DL-E-11122024-259335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4944] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/ अग्रहायण 20, 1946
No. 4944] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/ AGRAHAYANA 20, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5343(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप- खण्ड (ii) में दिनांक 24 जून 2024 के का.आ.2428 (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 2(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायगा ।

2(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए गेहूं:

- व्यापारी/थोक विक्रेता : 1000 टन;
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 टन।
- बिग चेन रिटेलर:प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन, बशर्ते कि उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (आउटलेटों की कुल संख्या से 5 गुणा) मीट्रिक टन हो।।
- प्रोसेसर: मासिक स्थापित क्षमता के 50% मात्रा को अप्रैल 2025 तक शेष महीनों से गुणा, के बराबर

उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे।

[फा. सं. 3/1/2007- नीति -III]

शिखा सी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का.आ. संख्या 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का.आ. संख्या 297 (अ) दिनांक 27 फरवरी 2007, का.आ. संख्या 1488 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007, का. आ. संख्या 2566 (अ) दिनांक 12 जून, 2023, का. आ. संख्या 4074(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2023, का. आ. संख्या 5292(अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2023 , का. आ. संख्या 575 (अ) दिनांक 08 फरवरी 2024, का. आ. संख्या 2428(अ) दिनांक 24 जून 2024 और का. आ. संख्या 3915(अ) दिनांक 9 सितम्बर 2024 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)
ORDER

New Delhi, the 11th December, 2024

S.O. 5343(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the Gazette of India, Extraordinary, Part (II) Section-3, Sub Section(ii) vide S.O.2428(E) dated 24th June 2024, namely

In the said Order, Paragraph 2(i) shall be replaced as under:

2(i) Wheat for a period up to 31st March 2025 with following stock limits for all States and Union Territories:

 Trader/Wholesaler: 1000 MT;
 Retailer: 5 MT for each Retail outlet.
 Big Chain Retailer: 5 MT for each outlet subject to maximum quantity of (**5 multiplied by total number of outlets**) MT stock at all their outlets & Depots put together.
 Processor: 50% of Monthly Installed Capacity (MIC) multiplied by remaining months till April 2025.

Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal *(https://evegoils.nic.in/wsp/login)* of Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 15 days of issue of this notification.

[F. No. 3/1/2007 Py-III]

SHIKHA C, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, vide Order No. GSR 104 (E), dated 15th February, 2002 and subsequently amended vide Order No. GSR 490 (E) dated 16th June, 2003 and S.O. No. 1373 (E) dated 29th August, 2006, S.O. No. 297 (E) dated the 27th February 2007 and S.O. No. 1488 (E) dated the 31st August, 2007 and S.O.2566(E) dated-12th June 2023, S.O.4074(E) dated 14.09.2023, S.O.5292 (E) dated 08.12.2023, S.O. 575(E) dated 08.02.2024, S.O. No.2428 (E) dated 24.06.2024 and S.O. No.3915 (E) dated 09.09.2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.12.11 15:28:54 +05'30'